दिनांक 30.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 353/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले आई0पी0एस0 अधिकारीगण का विदाई समारोह

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनॉकः 30.06.2026 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी **श्री राजीव मल्होत्रा,** पुलिस महानिरीक्षक/अपर निदेशक, उ0प्र0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ एवं **श्री गिरिजेश कुमार,** पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के सेवानिवृत्ति के परिप्रेक्ष्य में पुलिस मुख्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा विदाई कार्यक्रम के अवसर पर **श्री राजीव मल्होत्रा,** पुलिस महानिरीक्षक/अपर निदेशक, उ0प्र0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ एवं **श्री गिरिजेश कुमार,** पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

विदाई कार्यक्रम के अवसर पर **श्री बी.के. सिंह,** पुलिस महानिदेशक सीआईडी/साइबर क्राइम, **श्री जी0के0 गोस्वामी,** निदेशक, उ0प्र0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ एवं **श्री अखिलेश निगम,** पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी द्वारा अपने संबोधन में सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ बिताए गए महत्वपूर्ण एवं स्मरणीय क्षणों को साझा किया गया साथ ही दोनो अधिकारियों के योगदान के लिए उनके सेवानिवृत्ति उपरांत सुखद, स्वस्थ एवं सफल जीवन की कामना की गई।

कार्यक्रम के दौरान **श्री राजीव मल्होत्रा,** पुलिस महानिरीक्षक/अपर निदेशक, उ0प्र0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ ने संबोधन में विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों के सहयोग, मार्गदर्शन और स्नेह के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान रही है और वर्दी भले ही शरीर से उतर जाए, लेकिन एक पुलिस अधिकारी की भावना जीवनभर उनके साथ रहेगी। उन्होंने अपने सेवाकाल को संतोष पूर्ण बताते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार के उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होने विशेष रूप से पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के प्रेरणादायी नेतृत्व एवं विश्वास के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन सदैव ऊर्जा एवं आत्मविश्वास प्रदान करता रहा है।

श्री गिरिजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ने अपने संबोधन में कहा कि उनका जीवन ईश्वर की कृपा, परिवार के विश्वास और भाग्य का प्रतिफल है। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को अपना परिवार बताते हुए कहा कि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्नेह, सहयोग और विश्वास ने उन्हें बेहतर इंसान बनाया। उन्होंने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा करने को अपने जीवन का गौरवपूर्ण अनुभव बताया।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ने अपने संबोधन में सेवानिवृत्त हो रहे दोनो अधिकारियों के प्रति हार्दिक शुभकामनाएँ व्यक्त करते हुए उनके दीर्घ एवं उत्कृष्ट सेवाकाल की सराहना की तथा कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपने अनुभव, व्यक्तित्व और कार्यशैली से पुलिस संगठन को समृद्ध करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की उत्कृष्ट परंपराओं को आगे बढ़ाने में सेवानिवृत्त अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने दोनों अधिकारियों के स्वस्थ, सुखद एवं सफल भावी जीवन की शुभकामनाएँ देते हुए आशा व्यक्त की, कि उनके अनुभव नई पीढ़ी के पुलिस अधिकारियों के लिए प्रेरणास्रोत बने रहेंगे।

श्री राजीव मल्होत्रा जी का जन्म 21 जून 1966 को दिल्ली में हुआ था। वर्ष 1992 में 'प्रान्तीय पुलिस सेवा' में चयनित हुये। वर्ष 2015 में 'भारतीय पुलिस सेवा' में प्रोन्नत होने के उपरान्त राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए वर्ष 2022 में 'पुलिस उप महानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ, पीटीएस उन्नाव एवं पुलिस उप महानिरीक्षक उ0प्र0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन्सिक साइंस लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे तथा यहीं पर जनवरी 2026 में 'पुलिस महानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत हुये, जहाँ से आज अपनी अधिवर्षता आयु पूर्णकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

श्री राजीव मल्होत्रा जी निष्ठावान एवं कार्यकुशल अधिकारी रहे हैं। जिनका 33 वर्षों से अधिक का सेवाकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

श्री राजीव मल्होत्रा जी को वर्ष 2002 के लिये United Nations Peace Keeping Medal, स्वतन्त्रता दिवस 2013 के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक एवं स्वतन्त्रता दिवस 2019 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह (सिल्वर) से सम्मानित किया गया है।

श्री गिरिजेश कुमार जी का जन्म 01 जुलाई 1966 को जनपद बस्ती में हुआ था। वर्ष 1997 में 'प्रान्तीय पुलिस सेवा' में चयनित हुये। वर्ष 2022 में 'भारतीय पुलिस सेवा' में प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस अधीक्षक, सीबीसीआईडी लखनऊ के पद पर नियुक्त हुये, जहाँ से आज अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

श्री गिरिजेश कुमार जी लगनशील एवं सरल स्वभाव के अधिकारी रहे हैं। जिनका 28 वर्षों से अधिक का सेवाकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

RAJEEV KRISHNA

RAJEEV KRISHNA
UTTAR PRADESH POLICE

दिनांक 30.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 354/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ तथा आजमगढ़ इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 30.06.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ तथा आजमगढ़ इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन मेरठ इकाई द्वारा दीपक चौधरी निवासी लिलरहेड़ी थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार से मुकदमें से नाम निकालने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक कैलाश चन्द्र के नेतृत्व में मन्दिर के सामने, पुलिस लाइन गेट नं0-2 के पास से **उ0नि0 प्रकाशचन्द्र (थाना गंगानगर मेरठ)** पुत्र स्व0 गंगासिंह निवासी ग्राम माती बसई थाना गोड़ा जनपद अलीगढ़ को **20 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन आजमगढ़ इकाई द्वारा मनोज निवासी अलीनगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ से पेड़ कटवाने के परमिशन हेतु किये गये आनलाइन आवेदन पर परमिशन कराये जाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक संतोष कुमार दीक्षित के नेतृत्व में कार्यालय वन संरक्षण, आजमगढ़ वृत्त-आजमगढ़ प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग के मुख्य गेट के पास से **आशुलिपिक (स्टेनो) कपिलदेव यादव (डी0एफ0ओ0 कार्यालय जनपद आजमगढ़)** पुत्र रामफेर यादव निवासी ग्राम तिवारीपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को **07 हजार 500 रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 30.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 355/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना साइबर क्राइम

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 30.06.2026 को थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त रिहान को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना साइबर क्राइम पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रिहान निवासी मक्कीनगर योगेन्द्रपुरी थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गुडम्बा

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 12 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 30.06.2026 को थाना गुडम्बा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुकरैल जंगल से 02 अभियुक्तों 1–मंयक 2–अभिषेक को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 12 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.06.2026 को थाना गुडम्बा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गुडम्बा पर

अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मंयक निवासी ग्राम भण्डार बड्डूपुर थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी, हालपता मैकाले तिराहे के पास थाना गुडम्बा कमिश्नरेट लखनऊ।

2–अभिषेक निवासी कंचना विहारी मार्ग कल्याणपुर थाना गुडम्बा कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1–लगभग 12 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि।

जनपद अमरोहा/थाना अमरोहा देहात

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **चोरी की सोने–चांदी के आभूषण**
- **01 लाख 13 हजार 310 रूपये नगद**
- **चोरी की 02 मोटर साइकिल**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 30.06.2026 को थाना अमरोहा देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चकवारसपुर से 03 अभियुक्तों 1–अलीशेर 2–तसलीम उर्फ डब्बू 3–जैनुल आबुद्दीन उर्फ लल्ला को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की सोने–चांदी के आभूषण, 01 लाख 13 हजार 310 रूपये नगद, चोरी की 02 मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना अमरोहा देहात क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अमरोहा देहात पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त

तसलीम उर्फ डब्बू के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद, सम्भल व अमरोहा के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, डकैती, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 17 अभियोग, अभियुक्त जैनुल आबुद्दीन उर्फ लल्ला के विरूद्ध हत्या, चोरी, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अलीशेर निवासी मुकरपुर सिरसी थाना हतरजतनगर गढ़ी जनपद सम्भल हालपता—मोहल्ला नाला थाना पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद।

2—तसलीम उर्फ डब्बू निवासी गूगा लगला थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद हालपता—मोहल्ला ईदगाह थाना पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद।

3—जैनुल आबुद्दीन उर्फ लल्ला निवासी बैला थाना असमौली जनपद सम्भल हालपता— मोहल्ला ईदगाह थाना पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1—चोरी की सोने—चांदी के आभूषण।

2—01 लाख 13 हजार 310 रूपये नगद।

3—चोरी की 02 मोटर साइकिल।

4—03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद अमरोहा/थाना रजबपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **08 अवैध तमंचा 315 बोर**
- **04 नाल, 02 बाडी अधबनी विभिन्न बोर**
- **03 खोखा कारतूस 315 बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 29/30.06.226 की रात्रि थाना रजबपुर, एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कालाखेड़ा के पास खेत में बने खंडहरनुमा कमरे

से अभियुक्त मनफुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 08 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 नाल, 02 बाडी अधबनी विभिन्न बोर, 03 खोखा कारतूस 315 बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना रजबपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनफुल निवासी ग्राम हैबतपुर थाना रजबपुर जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–08 अवैध तमंचा 315 बोर।

2–04 नाल, 02 बाडी अधबनी विभिन्न बोर।

3–03 खोखा कारतूस 315 बोर।

4–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 33–33 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/452/323 भादवि व 3(2)5 एवं 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सोनू उर्फ सुधीर 2–संतोष उर्फ बाबा 3–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 33–33 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना छतारी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना छतारी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रामबाबू 2–सोनू को आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद चित्रकूट/थाना पहाड़ी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 14–14 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना पहाड़ी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–टुल्लू 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 14–14 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सहारनपुर/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/328 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त ऋषभ को आजीवन कारावास व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद देवरिया/थाना भटनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद देवरिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद देवरिया द्वारा थाना भटनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त फूल मोहम्मद को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कानपुर देहात/थाना शिवली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना शिवली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त लाल बहादुर को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————